न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29/2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

नारायण पिता स्वर्गीय श्री गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम इसरवाला, पटवार मण्डल निचली मोरड़ी, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मणिलाल पिता स्वर्गीय श्री गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम इसरवाला, पटवार मण्डल निचली मोरड़ी, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हिम्मतराम पिता स्व॰ श्री गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम इसरवाला, पटवार मण्डल निचली मोरड़ी, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रामेश्वर पिता स्वर्गीय श्री गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम इसरवाला, पटवार मण्डल निचली मोरड़ी, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती धुली बेवा पिता स्व॰ श्री गौतम ब्राहमण, निवासी ग्राम इसरवाला, पटवार मण्डल निचली मोरड़ी, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती कडवी बाई पुत्री स्व. गौतम पत्नी धुलजी गामोट, जाति ब्राहमण, निवासी परतापुर रोड़ ग्राम पलौदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती गीता बाई पुत्री स्व. गौतम पत्नी मोतीराम गामोट, जाति ब्राहमण, नि॰ लक्ष्मीनारायण मंदिर के पीछे ग्राम पलौदा, तह॰ गढ़ी, जिला बांसवाड़ा
7. श्रीमती तुलसी बाई पुत्री स्व. गौतम पत्नी तुलसीराम त्रिवेदी, जाति ब्राहमण, नि॰ ग्राम पलौदा (ढाले पर मकान), तह॰ गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
8. श्रीमती शान्ता बाई पुत्री स्व. गौतम पत्नी कचरू त्रिवेदी, जाति ब्राहमण, निवासी डिपो के पास ग्राम पलौदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी घाटोल
प्र. सं. 09/2010 प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
13/14.03.12 व अंतिम डिक्री दि. 29.06.12

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भगवतपुरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

———::———

निर्णय दिनांक 07–09–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की मौरूसी जायदाद वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार कुल किता 46 रकबा 4.3900 हैक्टर भूमि ग्राम ईसरवाला में स्थित है, जिसका पक्षकारों के मध्य आपसी मौखिक बंटवाड़ा गोतम जी के समय हो चुका है एवं पक्षकारान उसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट के पूर्व खसरा नंबर 1060/219 व 1066/219 नये खसरा नंबर 1014 व 1015 मिलाये गये तथा पुराने खसरा नंबर 1066/219 का नया नंबर 1013 अंकिता किया गया जो दिनांक 30–06–1997 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सेटलमेन्ट की पर्ची प्रमाणित जारी की गयी। उक्त तीनों खेतों को लेकर राजस्व मण्डल तक विभिन्न पक्षकारों के मध्य वादी के पिता द्वारा दावे व अपीलें की गयी, जिसमें वादी नारायण ने अपने पिता के साथ न्यायालयों में मुकदमा लड़ा व खर्चा किया। वादी नारायण की मेहनत व खर्चे को देखते हुए वादी के पिता गौतम द्वारा दिनांक 09–11–1981 को उपरोक्त झगड़े के निपटारा समझौता पेटे खर्चे एवज में खसरा नंबर 1066/291 व 1060/219 दोनों खेत वादी को देकर कब्जा सिपुर्द कर दिया व लिखा पढ़ी करवा दी। उक्त खसरा नंबर 1066/291 व 1060/219 के नये नंबर 1013, 1014 व 1015 बने, जिन पर वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण झगड़ा करते हैं। इस कारण भूमियों का विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है। अतएवं वाद वर्णित आराजी नंबर 1013, 1014 व 1015 को छोड़ते हुए शेष 43 आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिवत विभाजन करवाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे एवं अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा दिनांक 10–06–2010 को सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। पुनः दिनांक 14–06–2010 को प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के जवाब स्वरूप हमारे द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवायी गयी है। हम चारों भाईयों के विवाद में पड़ना नहीं चाहती, न ही हम

कोई वाद लड़ना चाहती हैं। हमारे द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 8 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम ईसरवाला का खाता संख्या 75 नया 71 पुराना के कुल खेत 46 कुल रकबा 4.39 हैक्टर लगानी 51.38 पैसा का वादी तथा प्रतिवादी संयुक्त खातेदार कृषक हैं तथा मौके पर काबिज होकर कृषि करते आ रहे हैं एवं लगान अदा कर रहे हैं ? ..... वादी
2. आया वादग्रस्त खाते का खेत नंबर पुराना 1060/रु219, 1066/219, जिसके नये नंबर 1013, 1014, 1015 बने हैं, उन्हें वादी को उसके पिता ने मुकदमा लड़ने के एवज में पूर्व से ही बंटवारे में दे दिया है एवं इन खेतों पर वादी का ही अधिकार व कब्जा है। अतः बंटवारे में यह खेत वादी को दिये जाये ?..... वादी
3. आया वादी के साथ उक्त तीन नये नबरों के खेतों के लेकर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 22–03–2009 को मौके पर झगड़ा किया गया। इस कारण से वादी द्वारा दावा बंटवारा पृथक खता कराना एवं उक्त तीनों खेतों पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने के लिए दावा पेश किया है ?..... वादी
4. आया वादग्रस्त खेत वादी के कब्जे में हैं एवं वादी को इस खेतों को बंटवारे में पिताजी द्वारा दिया गया है। अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ?..... वादी
5. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 का संयुक्त कब्जा काश्त है एवं मौके पर कोई बंटवाड़ा नहीं किया गया है ?..... प्रतिवादी
6. आया वादी को पिता गोतम जी द्वारा मुकदमा लड़ने हेतु मौके पर खेत नहीं दिया गया है। वादी का कथन असत्य तथ्यों पर है। अतः वाद काबिल खारिज है ?..... प्रतिवादी
7. आया वादी संयुक्त खेती होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी से कोई झगड़ा नहीं किया गया है ? ..... प्रतिवादी
8. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य बराबर अच्छी से अच्छी एवं खराब से खराब भूमियों का विभाजन किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13/14–03–2012 को जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 29–06–2012 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13/14–03–2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29–06–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–08–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

प्रारम्भिक डिक्री की अपील मयाद बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। यदि अपील देरीना मानी जाये तो न्यायहित में डिले को कण्डोन करते हुए अपील में कार्यवाही की जावे। अपीलान्ट को प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13–03–2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 01–05–2012 को एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29–06–2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 17–07–2012 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में जहां तक प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13/14–03–2012 का प्रश्न है, उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01–03–2012 को उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद जारी की है तथा दिनांक 14–03–2012 के बाद दिनांक 27–03–2012, 23–04–2012 व अन्य सभी पेशियों पर अंतिम डिक्री जारी होने तक अधिवक्ता वादी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। इसके बावजूद उनके द्वारा अपील 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं कर मिथ्या कथनों के आधार पर करीब 3 माह विलम्ब से उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट/वादी द्वारा जिन आधारों पर पारिवारिक समझौते के आधार पर आंशिक भूमि को अकेले

की होना बताया जा रहा है, वह न तो विधिक है, न ही पुष्ट, जिससे गुणावगुण आधार पर प्रारम्भिक डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। अतएवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13/14–03–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है, जा विधि अनुसार पोषणीय नहीं है, परन्तु न्यायहित अंतिम डिक्री के सन्दर्भ में विवेचन यदि हम विवेचन करें तो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भगवतपुरी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट के उजरात पर मनन किया तो पाया कि अंतिम डिक्री में प्रारम्भिक डिक्री बाबत् ही उल्लेख है एवं अंतिम डिक्री को नहीं मानने का सिर्फ यह आधार लिया है कि अपीलान्ट द्वारा नहीं चाहे गये अनुतोष को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दे दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी प्रारम्भिक डिक्री के क्रम में ही अंतिम डिक्री जारी की गयी है तथा अंतिम डिक्री के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई उजर ही वर्णित नहीं किये गये हैं तो अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री में हम किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाते हैं। अतएवं अंतिम डिक्री जिसकी पृथक से अपील की जानी थी वह भी गुणावगुण आधार पर पोषणीय नहीं है। तद्नुसार अंतिम डिक्री दिनांक 29–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13/14–03–2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29–06–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नारायणलाल पिता स्वर्गीय गोतम, निवासी ग्राम इसरवाला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा बनाम **मणिलाल पिता स्वर्गीय श्री गोतम, निवासी ग्राम इसरवाला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**29/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**13/14–03–2012 व 29–06–2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**09**.....सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री जयेन्द्र पुरोहित** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भगवतपुरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13/14–03–2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29–06–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**09**.....**2018**
को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।